S.V. Public School
27/11/97
JAIPUR
Adarsh Nagar

P. 9d

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर ।

-कार्यालय-आदेश-

साधु वासवानी पब्लिक स्कूल, आदर्श नगर, जयपुर को अंग्रेजी माध्यम एवं एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की अस्थाई मान्यता एक वर्ष के लिए अर्थात शैक्षिक सत्र 97-98 से प्रदान की जाती है । संस्था प्रधान को निर्देश दिये जाते है कि आप नवीन मान्यता नियम 1993 के परिशिष्ट-2 मे दिये गये शेष समस्त प्रावधानों की पूर्तिकर अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि से पूर्व संबंधित जिशिअ0 के कार्यालय मे प्रस्तुत करे । संबंधित अधिकारी नियमानुसार निरीक्षण द्वारा निरीक्षण कराकर निरीक्षण रिपोर्ट मय अपनी स्पष्ट अभिशंषा के प्रकरण निदेशालय भिजवाने की व्यवस्था करे । विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगे ।

शर्तें-

1॥ सभी अध्यापक कक्षा कक्षों के अनुसार प्रशिक्षित शत-प्रतिशत रखे जावे ।

आज्ञा से
॥डी0आर0जोधावत॥
विशेषाधिकारी ॥प्राथमिक॥
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान- बीकानेर ।

क्रमांकशिविरा/प्राथ/सी/19403/125/96 दिनांक- 18/11/97

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1॥ उप निदेशक ॥पुरुष॥ शिक्षा विभाग, जयपुर ।
2॥ जिला शिक्षा अधिकारी ॥प्रा0शि0॥ जयपुर ।
3॥ सचिव, साधु वासवानी पब्लिक स्कूल, आदर्श नगर, जयपुर
4॥ रक्षित पत्रावली ।

(signature) 17/11/97
संयुक्त निदेशक ॥प्राथमिक॥
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान- बीकानेर ।

(259)

प्रारूप – 2

{नियम 8–क का उप–नियम (4)}

कार्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

जयपुर, राजस्थान

संख्याः JPR/EAST/RTE/0186 दिनांकः 6/10/12

अध्यक्ष / प्रबंधक,
प्रबंध समिति,
सेन्ट मीरा ब्रदरहुड सोसायटी, जयपुर

विषयः–नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक फरवरी 2012 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं.. (विद्यालय का नाम और पता) एस.डी. पब्लिक स्कूल, मीरा भवन आदर्शनगर जयपुर को 1.4.2012 से 31.3.2015 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा.. पूर्व प्राथमिक से आठ तक के लिए अंतरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्वता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय,कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इंकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि–

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालका को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकृथित प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाएँ; परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते है, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगें;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है;और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगाएँगे।

7. विद्यालय,समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय,2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाएँ निम्नानुसार हैं। स्वघोषणा प्रपत्र–1 के अनुसार

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैंदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचालय
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुँच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेंगे

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
12. विद्यालय,किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।
13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति,जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.. .... हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय,ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाएँ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण,यदि कोई हो,सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।
18. निरीक्षण दल रिपोर्टः–
    - संस्था आर.टी.ई के सभी मापदण्ड पूर्ण करती है अतः संस्था को आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती हैं।
    - संस्था आर.टी.ई. के तहत भौतिक संसाधन को पूर्ण नहीं करती है अतः संस्था को मार्च 2013 तक भौतिक संसाधन जुटाने की शर्त पर आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती हैं।
    - संस्था में आर.टी.ई मापदण्डानुसार प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है अतः संस्था को मार्च 2015 तक प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति की शर्त पर आर.टी.ई मान्यता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती हैं।

अति0जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

जिला शिक्षा अधिकार
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर